इकाई 3 अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की पहचान तथा वर्गीकरण

3.4 अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक

- 3.4.1 बुद्धि
- 3.4.2 अभिप्रेरणा
- 3.4.3 अध्येता की तत्परता के लिए परिपक्वता
- 3.4.4 संवेग
- 3.4.5 रुचियाँ
- 3.4.6 अभिवृत्ति
- 3.4.7 आत्म–संप्रत्यय
- 3.4.8 अधिगम शैलियाँ

3.5 अधिगम को प्रभावित करने वाले (वातावरण संबंधी) सामाजिक–सांस्कृतिक कारक

3.6 अधिगम को प्रभावित करने वाले विद्यालय संबंधित कारक

3.7 अधिगम को प्रभावित करने वाले अध्यापन–अधिगम संबंधी कारक

- 3.7.1 अधिगम की विधियाँ
- 3.7.2 अधिगम पर संचार माध्यमों का प्रभाव

3.8 सारांश

3.9 इकाई के अंत में अभ्यास

3.10 चर्चा के लिए बिन्दु

3.11 संदर्भ ग्रंथ तथा उपयोगी पठनीय सामग्री

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.1 प्रस्तावना

इकाई 2 में हमने अधिगम के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा की तथा यह समझा कि बहुत से सिद्धांत है जो अधिगम की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। विभिन्न विचारकों के इस बात पर विभिन्न विचार हैं कि हम कैसे सीखते हैं? माना कि अधिगम को परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा सामाजिक संरचना, जिसमें बच्चे का जन्म व पालन पोषण होता है, प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद बच्चे स्वयं के मनोवैज्ञानिक गुणों का भी उसकी योग्यता तथा, वह कैसे सीखते हैं पर, काफी प्रभाव रहता है। इस इकाई में हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे जिनका प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों को सूचीबद्ध कर सकेंगे;
- अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों की चर्चा कर सकेंगे;
- अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कर सकेंगे;
- अधिगम को प्रभावित करने वाले विद्यालय संबंधी कारकों पर चर्चा कर सकेंगे;
- अधिगम को प्रभावित करने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कर सकेंगे; और
- अधिगम पर संचार माध्यमों के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे।

3.3 अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की पहचान तथा वर्गीकरण

आइए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारकों को समझने की कोशिश करें। अधिगम की क्रिया में कार्यरत कुछ कारक उस व्यक्ति में जन्मजात या निजी होते हैं जो कि उनमें विशेष रूप से अद्वितीय होते हैं। इन कारकों में – बुद्धि, अभिप्रेरणा, संवेग, रुचियाँ, अभिवृत्ति, विश्वास, मूल्य तथा अधिगम की विधियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं। कुछ और भी कारक हैं जो वातावरण या उसके चारों तरफ के उस परिदृश्य से संबंधित हैं जिनसे व्यक्ति समय–समय पर अंतःक्रिया करते रहते हैं। इनमें परिवार, सहपाठी, अड़ोस–पड़ोस, समुदाय तथा विद्यालय संबंधी कारक आते हैं। यह सभी निजी तथा वातावरण संबंधी कारक बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

हम इन सभी कारकों को उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करेंगे। इसके लिए आइए, पहले निम्न उदाहरणों को देखेंः

- गौरव की आयु 15 वर्ष की है तथा वह एक अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन वह न तो अपनी कक्षा में और न ही अपने गृहकार्य पर ध्यान दे पा रहा है तथा इसलिए वह बहुत ही कम अंक प्राप्त करता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि विद्यालय के बाहर उसके सहपाठी या उसके मित्रों का दायरा अच्छा नहीं है और वह अपने उस मित्र समूह के साथ अधिकतर बेकार के कार्यों में लगा रहता है।
- विशार्थ तथा वृषांक दोनों सहपाठी हैं। विशार्थ किसी बीजगणित के किसी प्रश्न को बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता के बहुत ही कम समय में हल कर लेता है जबकि वृभाांक एक साधारण बीजगणित के प्रश्न को हल करने में बहुत ही लम्बा समय लगाता है।
- अहमद भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य बनना चाहता है। उसके लिए वह हर संभव प्रयत्न करता है तथा नेट पर काफी समय लगाता है। यद्यपि उसे अपने परिवार से अधिक सहयोग नहीं मिलता फिर भी वह अपने खेल अध्यापक के काफी संपर्क में रखता है; तथा ऐसा कम ही होता है कि वह किसी क्रिकेट मैच को न देखें।

- किरण एक सुन्दर और लम्बी लड़की है तथा उसका रंग साफ है। वह माडलिंग को अपना व्यवसाय बनाना चाहती है या फिर "एयर होस्टेस" बनना चाहती है। वह अपने सपने को पाने के लिए हमेशा कोशिश करती है। यद्यपि वह अपने इस स्वप्न को गुप्त रखती है क्योंकि वह एक परंपरानिष्ठ परिवार से संबंध रखती है जहाँ पर लड़कियों को घर के बाहर कार्य करने की अनुमति नहीं है। जब कभी वह अपने सपने के बारे में अपने किसी भी परिवार के सदस्य से बात करती है तो उसे सख्ती से बता दिया जाता है कि वह केवल विद्यालयी स्तर पर अपनी शिक्षा पूरी कर सकती है या अधिक से अधिक ट्यूशन कक्षाओं में जा सकती है।

- मैरी और मारग्रेट बहने हैं। मैरी कला में तथा चित्रकला संबंधी कार्यों में बहुत अच्छी है तथा जो भी वस्तु वह देखती है उसका रेखाचित्र खींच सकती है तथा मारग्रेट को संगीत की धुन है। वह अधिकतर गाने जानती हैं तथा उन्हें गा सकती हैं, भले ही उसने वह केवल एक ही बार सुना हो। दोनों ही अपने रूचि के क्षेत्र में घंटों एक साथ बिताती हैं।

यह सभी उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि अधिगम का संबंध बहुत से कारकों से हैं जोकि व्यक्तिगत भी हैं तथा वातावरण संबंधी भी। इसलिए यह अवधारणा कि "प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट, निजी और वातावरण संबंधी कारकों के सम्मिश्रण के अनुसार सीखता है", को सही माना जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि गौरव के संदर्भ में देखें जोकि अपने शैक्षिक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसके संगी–साथी उसमें मुख्य कारक हैं जो उसकी उपलब्धियों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार विशार्थ और वृषांक को निजी विशेषताएँ बीजगणित में उनके प्रदर्शन को निश्चित करने में कार्य कर रही हैं। अहमद तथा किरण के संदर्भ में घर का वातावरण और पारिवारिक संस्कृति तथा मूल्य उन्हें अपना वृत्तिक व्यवसाय चुनने में प्रभावी ताकतों का कार्य कर रही हैं। जहाँ तक मैरी तथा मारग्रेट का संबंध है उनको कला तथा संगीत में विशेष रूचि तथा प्रतिभा उनके कार्यकलाप को निर्धारित करती प्रतीत होती हैं।

अतः सभी उदाहरणों में आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले दोनों ही निजी और वातावरण संबंधी कारकों के प्रमाण मिलेंगे। इस चर्चा के आधार पर हम अधिगम को निजी व वातावरण संबंधी दोनों कारकों के क्रियाकलाप के कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं व अंकगणित के ढंग से उसे इस प्रकार दिखाया जा सकता हैः

$L = f(EF \times PF)$

L = अधिगम; f = परिणामी कार्य; EF = वातावरण संबंधित कारक; PF = निजी कारक;

आइए, अब इन विभिन्न प्रकार के कारकों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करें।

निजी कारक (मनोवैज्ञानिक कारक): मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अन्तर्निहित होते हैं जैसे कि बुद्धि, अभिप्रेरणा, रूचियाँ, अभिवृत्ति इत्यादि, जो किसी व्यक्ति को अधिगम की ओर प्रवृत्त करते हैं जैसे कि आपने मैरी और मारग्रेट के व विशार्थ तथा वृभाांक के संदर्भों में देखा। दूसरी ओर वातावरण संबंधी कारक वे प्रासंगिक कारक हैं जो अधिगम में वातावरण की भूमिका को रेखांकित करते हैं; जैसे कि **सामाजिक–सांवेगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विद्यालय संबंधी कारक**।

यद्यपि ये कारक दो भिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन ये एक ही सामूहिक पद्धति में कार्य करते हैं। सीखने वाले को तथा सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह केवल तभी समझा जा सकता है जब उसे दोनों निजी व वातावरण संबंधी कारकों को आपसी

क्रियाकलाप के संदर्भ में लें। इसको आरेखीय रूप में चित्र 3.1 द्वारा निरूपित किया गया है।

वातावरणीय कक्ष (ग़ैर–वैयक्तिक कारक)

वैयक्तिक कारक

अंतःवैयक्तिक कारक

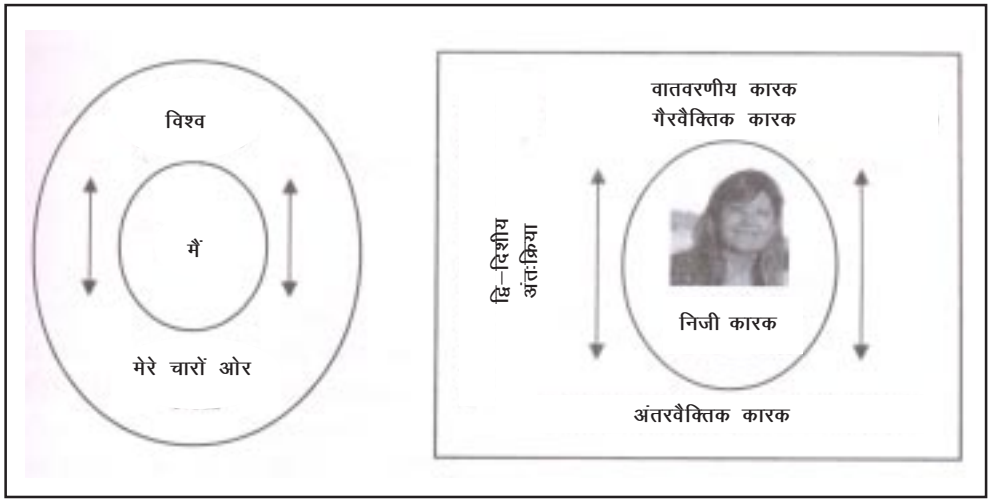

चित्र 3.1: अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक (स्रोतः इ.गा.रा.मु.वि., 2007)

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की सूची बनाएँ तथा उन्हें वर्गीकृत करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3.4 अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक

मनोवैज्ञानिक कारक अनन्य होते हैं तथा उस व्यक्ति विशेष में होते हैं जो अधिगम प्रक्रिया में संलग्न है। इन कारकों की पूर्ण समझ तथा ज्ञान अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए बच्चों की अधिगम प्रक्रिया की सुचारू ढंग से मार्गदर्शित करने व सिखाने के लिए अति आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक कारकों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन कारकों पर, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, एक विस्तृत चर्चा यहाँ प्रस्तुत है।

3.4.1 बुद्धि

अनुसंधानों से पता चलता है कि बुद्धि का अधिगम योग्यता से सकारात्मक व सार्थक संबंध है। आपने बहुत से व्यक्तियों और संस्कृतियों में ऐसी विविधताएँ देखी होंगी जो वास्तव

में बुद्धि है। आओ, निम्न दिए हुए विश्लेषणात्मक कार्य में परियुक्त होकर इस ओर ध्यान से देखें कि इस कथन से क्या अभिप्राय है:

- वन्दना अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती हैं।
- इकबाल में इतिहास संबंधी तारीखों और वर्षों को कालानुक्रम में याद रखने की योग्यता है।
- संजय नृत्य में बहुत अच्छा है।
- एलिजावेथ किसी भी पक्षी या पशु की आवाज निकाल सकती है।
- विशाल एक अच्छा टेबल–टेनिस खिलाड़ी है।

इन पाँच विद्यार्थियों के ऊपर दी गई पार्श्विका (profile) के आधार पर क्या आप पहचान पाएँगे कि कौन–सा विद्यार्थी सबसे अधिक बुद्धिमान है। शायद आप नहीं पहचान पाएँगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पाँचों विद्यार्थियों में अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक अलग प्रतिभा है। यह इस ओर इशारा करती है कि आप बुद्धि को किसी एक संदर्भ में परिभाषित नहीं कर सकते। शायद बुद्धि की उतनी ही परिभाषाएँ हैं जितने कि उस पर कार्य करने वाले विशेषज्ञ। मौटे तौर पर हम किसी के बारे में, किसी के द्वारा सीखने, समझने को तथा अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करने की योग्यता को बुद्धि की परिभाषा के रूप में दे सकते हैं। यह आम योग्यता बहुत–सी विशेष योग्यताओं से बनी होती है जिसमें सम्मिलित हैं:

- किसी नए वातावरण या वर्तमान वातावरण में बदलाव को अपनाना;
- ज्ञान की क्षमता तथा उसे प्राप्त करने की योग्यता;
- विचारों के निष्कर्ष निकालने तथा तर्क करने की क्षमता तथा संबंधों को समझना;
- मूल्यांकन तथा निर्णयों की योग्यता; तथा
- नए तथा रचनात्मक विचारों की योग्यता।

इसके अतिरिक्त, बुद्धि को एक अवधारणा के रूप में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न ढंगों से समझा गया है, इसलिए, इसकी परिभाषाओं में विस्तृत विविधता है, जिसे बॉक्स 1 में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स 1: बुद्धि की परिभाषाएँ

विभिन्न लेखकों द्वारा दिए गए बुद्धि के अर्थ :

अल्फ्रेड बिने (1916)	:	निर्णयन, जिसे दूसरे रूप में "एक अच्छी समझ" कहते हैं; व्यावहारिक समझ "पहल करने की शक्ति", अपने आपको परिस्थितियों में ढ़ालने की कार्यकारी शक्ति, "आत्म–समीक्षा"।
डेविड बैश्लर (1994)	:	किसी व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कसंगत सोचने, तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावी रूप से कार्य व्यवहार करने की समस्त या सार्वभौम योग्यता
लॉयड हम्फ्रेज (1979)	:	किसी की प्राप्ति, स्मृति में भंडारण तथा पुनः प्रस्तुतीकरण व जोड़ना तथा तुलना करने की प्रणाली तथा उस सूचना तथा धारण संबंधी कौशल को नए संदर्भों में प्रयोग करने की दक्षता का संयुक्त परिणाम।

सिरिल बर्ट (1955)	:	जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता।
हावर्ड गार्डनर (1993)	:	समस्याओं को सुलझाने के कौशल के साथ एक मानव बौद्धिक क्षमता – जो व्यक्ति को उसके समक्ष आने वाली यथार्थ कठिनाइयों या समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने योग्य बनाए तथा जब उचित हो तो एक प्रभावी उत्पाद का सृजन करे – तथा उसमें समस्याएँ को ढूँढ़ने तथा उत्पन्न करने की क्षमता हो – तथा इस प्रकार वह नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए नींव रखे।
लिंडा गॉटफ्रेडसन (1998)	:	बौद्धिक जटिलता से जूझने की क्षमता
स्र्टनवर्ग तथा साल्टर (1982)	:	लक्ष्य निर्देशित अनुकूलित व्यवहार
रयूवेन फियुरस्टिन (1990)	:	जीवन स्थितियों की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार अपने आपको ढालने के लिए अपनी संज्ञानात्मक कार्यात्मकता को रूपांतरित करने संबंधी व्यक्ति की अद्वितीय प्रवृत्ति।

बुद्धि के अर्थ तथा प्रकृति को समझने के लिए हमें बुद्धि से संबंधित नीचे दिए गए दृष्टिकोणों की संकल्पनाओं को समझना होगा।

बुद्धि को समझने का उपागम बहुत लम्बे समय पहले से प्रकाशित हुए अनुसंधान के मनोमितीय (साइकोमीट्रिक) परीक्षण पर आधारित है। यह व्यावहारिक स्थितियों में भी सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली व्यूहरचना है। बहुत से ऐसे मनोमितीय परीक्षण भी हैं जिसका अभिप्राय स्वयं बुद्धि को मापने के लिए नहीं बल्कि किसी निकटता से संबंधित अवधारणा को मापने से है, जैसे कि शैक्षिक अभिक्षमता के लिए हैं। शिक्षा, व्यापार तथा सेना में बुद्धि परीक्षणों का इनके व्यवहार करने की क्षमता के कारण विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों का बुद्धि स्तर (Quotient) ऊँचा होता है (वे निर्दिष्ट शिक्षा से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं) तथा वे ऊँची आय तथा ऊँचे स्तर की नौकरियों वाले होते हैं। बुद्धि का सहसंबंध सफल प्रशिक्षण तथा निष्पादन परिणामों के साथ काफी सार्थक होता है। हाल ही में किए गए बुद्धि स्तर प्रयोगों पर कैटिल हार्न तथा कैरोल के सिद्धांत का गहरा प्रभाव है। अनुसंधानों से बुद्धि के बारे में जो पता चला है उस पर विवेचना करने की काफी हद तक आवश्यकता है। बुद्धि के बारे में स्पष्ट चित्रण के लिए बहुत सारे कारकों का उपयोग किया जाता है। इन कारकों में से सामान्य बुद्धि कारक **g (जी)** सबसे ऊपर आता है। इसके नीचे 10 मुख्य योग्यताएँ आती हैं जोकि आगे 70 परिमित योग्यताओं में विभाजित की गई है। मुख्य योग्यताओं में अस्थिर बुद्धि (Gf); निश्चित बुद्धि (GC); मात्रिक तर्कणा (Gq); पठन, लेखन की योग्यता (Grw); अल्पकालिक स्मृति (Gsn); दीर्घावधिक संग्रहण तथा पुनः प्रस्तुतीकरण (Gir); दृष्टि प्रचालन (Gv); श्रवण–प्रचालन (Ga); प्रचालन गति (Gs) तथा निर्णय/प्रतिक्रिया समय/गति (Gt) आती है।

राबर्ट स्टर्नवर्ग ने बुद्धि की एक त्रिविमीय अवधारणा प्रस्तुत की जो मानव योग्यता के परंपरागत विभेदीय अथवा संज्ञानात्मक सिद्धांतों की तुलना में बौद्धिक क्षमता का अधिक व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। यह त्रिविमीय सिद्धांत बुद्धि के तीन मूलभूत पहलूओं को प्रस्तुत करती हैः विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि तथा व्यावहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि उन सभी मानसिक प्रकियाओं से मिलकर बनती है जिनके द्वारा बुद्धि को अभिव्यक्त किया जाता है। सृजनात्मक बुद्धि की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी व्यक्ति

का सामना कुछ हद तक एक नई चुनौती से हो जाता है। व्यावहारिक बुद्धि की आवश्यकता सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थिति में होती है जिसमें उस संदर्भ के अनुरूप बनने के लिए वातावरण को सुधारने, उसका चुनाव करने तथा उसके अनुकूल ढ़लने की आवश्यकता होती है। त्रिविमीय सिद्धांत के अनुसार सामान्य बुद्धि कारकों की वैधता के बारे में कोई आपत्ति नहीं है बल्कि यह सिद्धांत यह मानता है कि सामान्य बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि का ही भाग है तथा सिर्फ बुद्धि के तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बुद्धि की कार्य करने की पूर्ण व्यवस्था को समझा जा सकता है। हाल ही में त्रिविमीय सिद्धांत की सुधार कर उसे नया नाम दिया गया है – स्टर्नवर्ग का सफल बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि को व्यक्ति के सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भ में उस के अपने भावमूलक मानकों द्वारा अपने जीवन में सफलता के आकलन के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यक्ति की सफलता बुद्धि के विश्लेषण, सृजन तथा व्यावहारिक पक्षों के संयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है। बुद्धि के तीन पहलुओं को प्रचालन कौशल कहा जाता है। सफलता प्राप्ति में प्रचालन कौशलों का प्रयोग व्यावहारिक बुद्धि के तीन तत्वों : वातावरण में ढ़लना, संरचना तथा अपने वातावरण का चुनाव, द्वारा किया जाता है। वह प्रक्रिया जो सफलता प्राप्ति के लिए प्रचालन कौशलों को कार्य करवाती है, उसमें व्यक्ति की ताकतों का उपयोग तथा कमजोरियों को ठीक करने या उनकी क्षतिपूर्ति करना शामिल है।

बुद्धि के बारे में सबसे प्रबल समकालीन सिद्धांत होबार्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका शिक्षा प्रणाली पर उल्लेखनीय प्रभाव है। उन्होंने बहु–बुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसमें आठ सुस्पष्ट अलग–अलग योग्यताएँ है। प्रत्येक की एक अलग कार्य व्यवस्था है। यद्यपि किसी संपूर्ण बुद्धि निष्पादन का उत्पादन करने के लिए सभी व्यवस्थाएँ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। बुद्धि के निम्नलिखित आठ क्षेत्र हैं:

- भाषिक बुद्धि
- तर्कणा – गणितीय बुद्धि
- स्थानिक बुद्धि
- संगीतीय बुद्धि
- शरीर–गत्यात्मक (Kinesthetic) बुद्धि
- अंतर्वैयक्तिक (Interpersonal) बुद्धि
- अन्तःर्वैयक्तिक (Intrapersonal) बुद्धि
- प्राकृतिक बुद्धि

वह बुद्धि जिसको प्रदर्शित करने में व्यक्ति अधिक सक्षम होता है, वही यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति क्या सीखता है, कितनी अच्छी प्रकार सीखता है तथा वह उन सीखने के विधियों को भी प्रभावित करता है जिनके द्वारा वह अपने आपको उस अधिगम कार्य में परियुक्त करता है। हम चाहे बुद्धि को अधिगम के संबंध में किसी प्रकार भी परिभाषित करें इसमें कोई शक नहीं कि हम कैसे, कब और क्या सीखते हैं, यह इसको प्रभावित करती ही है। और इससे भी आगे व्यावहारिक तौर पर यह समस्याओं को सुलझाने के लिए, सोच विचार के लिए, तर्क आदि के लिए, दूसरों के साथ संबंध बनाने, संवेदनाओं से निपटने, रुचियों को विकसित करने तथा गलत और सही की समझ तथा अपने वातावरण अनुकूल रहने की एक क्षमता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि बुद्धि विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता से सकारात्मक रूप से संबंध रखती है तथा यह माना जाता है कि जो विद्यार्थी अधिक बुद्धिमान होते हैं वे अपने समकक्ष कम बुद्धिमान विद्यार्थियों की तुलना में अधिक सीखते हैं तथा और अच्छा सीखते हैं।

3.4.2 अभिप्रेरणा

विद्यार्थियों में अधिगम पर अभिप्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आइए निम्नलिखित उदाहरणों को समझें।

जतिन जब साईकल चलाना सीख रहा था तो कई बार गिर जाता था तथा उसे चोटें और खरोचें आदि आ जाती थी लेकिन वह अपने इस कार्य को लगातार अभ्यास द्वारा पहले से बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। अब क्या आप बता सकते हों कि जतिन के ऐसे व्यवहार के पीछे कौन–सा कारक है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि वह ऐसा करने के लिए अभिप्रेरित था।

किसी दूसरी कक्षा का उदाहरण लें और स्पष्ट करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है?

श्रीमान डे आठवीं (क) कक्षा के अध्यापक हैं। इतिहास पढ़ाते हैं। किसी कारण से इस वर्ष उन्हें अपनी कक्षा के साथ वास्तव में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वह अपने विद्यार्थियों की और बहुत ही क्षुब्ध हैं, क्योंकि वे इतिहास पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे दिखते हैं। जब वे अपने पाठ को परियोजनाओं या अन्य कार्यों द्वारा रुचिकर बनाना चाहते हैं तो विद्यार्थी विरोध करने लगते हैं। "सर, यह बहुत लम्बा है, यह बहुत कठिन है, यह बहुत अधिक है, हम नहीं समझ सकते, कृपया हमें अधिक काम न दें।" न ही माता–पिता की सलाह कार्य करती हैं न ही कोई प्रोत्साहन। उनमें "हम नहीं कर सकते" वाला व्यवहार मौजूद है। कुछ अच्छे विद्यार्थी भी हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं, वे भी बाकी कक्षा की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। श्रीमान डे ने समस्या की तह तक पहुँचने का निर्णय लिया तथा अपने विद्यार्थियों में बदलाव लाना चाहा। आइए, हम उनकी सहायता करें। हम अपना विश्लेषण तीन मौलिक प्रश्न पूछ कर सकते हैं:

- क्या उनके विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा नहीं है?
- वे इतिहास पढ़ने के लिए इतने प्रतिरोधी क्यों हैं?
- कक्षा के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए क्या किया जा सकता है?

इन प्रश्नों का अर्थपूर्ण रूप में उत्तर देने के लिए हमें बच्चों को जिन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें जानना होगा उनके सम्मिलित होने का स्तर, इतिहास में उनकी रुचि, इतिहास को छोड़ने में उनकी शीघ्रता तथा कक्षा के दौरान उनकी भावना आदि को जानना होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तथा विद्यार्थियों का व्यवहार क्यों और कैसे? यह सभी एक ही शब्द में निहित हैं जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं।

अभिप्रेरणा को कुछ ऐसा माना जा सकता है: जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्यों और प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित और बाध्य तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा को औपचारिक ढंग से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं: व्यक्ति की एक आन्तरिक अवस्था है जो व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है, संचालित करती हैं या पथ प्रदर्शन करती है तथा व्यवहार को अनुरक्षित रखती है।

आप अभिप्रेरणा को एक आन्तरिक ऊर्जा या मानसिक शक्ति के रूप में सोच सकते हैं जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उकसाती है। अभिप्रेरणा बहुत से संदर्भों में महत्वपूर्ण है: विद्यालय, घर तथा संसार में भी। अभिप्रेरणा शिक्षा के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? इनका मुख्य कारण है अभिप्रेरणा तथा शैक्षिक प्रदर्शन व उपलब्धियों के बीच एक भली भाँति प्रमाणित संबंध। उदाहरण के तौर पर जो विद्यार्थी विद्यालय में अभिप्रेरित होते हैं। वह अधिक अंक प्राप्त करते हैं। वह अधिक समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं तथा कक्षा

के सभी कार्यों में भाग लेते हैं, अधिक सीखते हैं तथा आम तौर पर परीक्षाओं में अच्छा निष्पादन देते हैं। इस प्रकार जैसे श्रीमान डे के संदर्भ में, इससे पहले कि अध्यापक विद्यार्थियों से अध्यापन क्रिया से लाभ उठाएँ, की आशा करे, अध्यापक अगर अधिगम के लिए बच्चों को अभिप्रेरित कर सकेंगे, तो वे कुछ अच्छा कर सकते हैं।

अभिप्रेरणा अधिगम में एक केन्द्र–बिन्दु का काम करती हैं तथा यह एक शैक्षिक वास्तविकता है। एक तरह से अभिप्रेरणा एक व्यक्ति की सीखने के लिए उत्सुकता की पहचान है। पर्याप्त अभिप्रेरणा न केवल अधिगम प्रक्रियाओं को गतिमान करती है जो अधिगम में परिणत होती हैं बल्कि इन क्रियाओं को भी बनाए रखती हैं तथा मार्गदर्शन भी करती हैं। इस प्रकार, अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक अपरिहार्य कारक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया को ऊर्जा भी देता है तथा उसे त्वरित भी करता है। इसके अतिरिक्त अध्येता में एक बहुत ही सकारात्मक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। आपने यह देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी किसी कार्य को या किसी पाठ को दूसरे की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से सीखते हैं क्योंकि वे उसे अधिक संतोषजनक तथा रुचिकर समझते हैं। इस तरह इसमें बहुत–सी विविधताएँ हो सकती हैं 'क्या चीज अभिप्रेरित करती है', 'यह कितनी अभिप्रेरित करती है', तथा 'इसका सीखने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है'। ये विविधताएँ अभिप्रेरणा के स्तरों व उनके प्रकारों पर निर्भर करती हैं उदाहरण के तौर पर कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकताएँ यह निश्चित करती हैं कि उन्हें क्या अभिप्रेरित करेगा? कुछ दूसरों के लिए किसी कार्य को पूरा करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ अन्य के लिए किसी विशेष कार्य के साथ परियुक्त होना ही उन्हें अत्यधिक अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरणा को ऐसा चर समझा जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएँ, प्रवृत्तियाँ और प्रोत्साहन सम्मिलित रहते हैं। वह उन सभी का संश्लेषण है। आइए, उसे एक उदाहरण की सहायता से समझें।

सुदीक्षा कला की बात आते ही अभिप्रेरित हो जाती है। हम इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुँचे क्योंकि जब कला की कक्षा होती है तो वह लीन हो जाती है, अवसर मिलते ही कुछ न कुछ ड्राइंग बनाने के लिए उत्सुक रहती है तथा कला को अपना व्यवसाय बनाना चाहती है। अभिप्रेरणा शक्ति एक ऐसी वस्तु है जो ऊर्जा देती है, मार्गदर्शन करती है तथा व्यवहार को बनाए रखती है। यह विद्यार्थियों को गतिशील बनाती है। उन्हें किसी विशेष दिशा की ओर निर्देशित करती है तथा उन्हें गतिमान रखती है। वास्तव में सभी विद्यार्थी किसी न किसी कारण से अभिप्रेरित होते हैं। कोई एक विद्यार्थी कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसमें बहुत रुचि लेता है तथा चुनौतीपूर्ण पठन कार्य स्वीकार है। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा परियोजनाओं में अधिक अंक प्राप्त करता है। एक दूसरा विद्यार्थी विद्यालय के सामाजिक पहलू की ओर अधिक ध्यान देता है, वह अपने सहपाठियों के साथ अधिक मेलजोल तथा और दूसरी क्रियाओं में प्रतिदिन भाग लेता है तथा शायद विद्यार्थी संघ की ओर आकर्षित रहता है। एक अन्य विद्यार्थी खेलकूद पर ध्यान देता है तथा भौतिक विज्ञान की कक्षाओं में सबसे आगे रहता है तथा अधिकतर शाम को या तो खेलकूद को देखता है या फिर स्वयं खेल में भाग लेता है। वे विद्यार्थी जिनमें अधिगम संबंधी अक्षमता हो जिसका पता न लगा हो, या शर्मिला स्वभाव हो, देखने में असमन्वित शरीर हो, ऐसे विद्यार्थी के लिए यह संभव है कि वह शैक्षिक क्रियाकलाप, सामाजिक परिस्थितियों या खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित न हों। जब सुदीक्षा प्रतिदिन विद्यालय आती है तो कला में उसकी अत्यधिक रुचि भी उसके साथ आती है। लेकिन अभिप्रेरणा कुछ ऐसी वस्तु नहीं है कि विद्यार्थी अवश्य ही विद्यालय अपने साथ लेकर आएँ। यह विद्यालय में परिस्थितियों द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। जब हम इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं कि किसी विशेष वस्तु को सीखने के लिए या किसी विशेष व्यवहार को करने के लिए हम अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं तो हम पारिस्थितिक

अभिप्रेरणा की बात कर रहे होते हैं। अगले अनुच्छेदों में हम देखेंगे कि अध्यापक के तौर पर कैसे हम विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए और उन्हें इस प्रकार व्यवहार करने के लिए, जिससे उनकी दीर्घाकालिक उपलब्धियाँ और उत्पादकता बढ़े, बहुत कुछ कर सकते हैं:

- अभिप्रेरणा विशेष लक्ष्य की ओर व्यवहार का मार्गदर्शन करती है।
- अभिप्रेरणा द्वारा अधिक प्रयास तथा ऊर्जा मिलती है।
- अभिप्रेरणा में पहल करने व क्रियाओं में बने रहने की शक्ति होती है।
- अभिप्रेरणा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।
- अभिप्रेरणा से यह पता चलता है कि कौन–से परिणाम प्रबलन करने योग्य हैं तथा कौन से दंडनीय।
- अभिप्रेरणा आम तौर पर निष्पादन को बढ़ाती है।

सभी प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रभाव मानव के अधिगम तथा निष्पादन पर एक जैसा नहीं है। लेखन की कक्षा में इन दो प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों का उदाहरण देखें।

सिद्धार्थ को लिखने का शौक नहीं है। वह कक्षा में केवल एक ही कारण से आता है कि यदि उसे कक्षा में ए या बी ग्रेड मिल जाए तो यह राज्य परीक्षा बोर्ड में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में उसकी सहायता करेगा। एक दूसरे विद्यार्थी महेश को लिखना पसंद है। यह कक्षा उसे राज्य परीक्षा बोर्ड में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सहायता करेगी लेकिन इसके साथ–साथ महेश सच में लिखने में बढ़िया बनना चाहता है वह इसमें अपने भावी व्यवसाय पत्रकार बनने के लिए लाभ सोचता है। इसके अतिरिक्त वह नई–नई तकनीकें सीख रहा है ताकि जो वह लिखता है उसे अधिक सजीव तथा आकर्षक बनाया जा सकें।

सिद्धार्थ **बाह्य अभिप्रेरणा** का प्रदर्शन कर रहा है। वह उन कारकों से अभिप्रेरित है जो उसके लिए बाह्य है तथा उस कार्य से संबंध नहीं रखते हैं जो कार्य वह कर रहा है। जो विद्यार्थी बाहरी तौर पर अभिप्रेरित होते हैं उन्हें अच्छे ग्रेड पैसा, या फिर पहचान चाहिए, जो उन्हें विशेष क्रियाओं को पूरा करने पर मिलेगा। निश्चित ही वे उस कार्य को पूरा करने के लिए किसी कारण से अभिप्रेरित है, न कि कार्य पूरा होने के लिए। इसके विपरीत महेश में **आंतरिक अभिप्रेरणा** है। वह उन कारकों द्वारा अभिप्रेरित है जो उसके अंदर है। तथा जो कार्य वह कर रहा है, उसमें निहित हैं। जो विद्यार्थी आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा अभिप्रेरित होते हैं वे किसी क्रिया में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उससे उन्हें खुशी मिलती है, व उन्हें उस कौशल को अपने अन्दर सृजित करने का अवसर मिलता है जिसे वे महत्वपूर्ण समझते हैं या फिर जो उन्हें देखने में नैतिक तौर पर सदाचारपूर्ण लगता है। कुछ विद्यार्थी जिनकी आन्तरिक अभिप्रेरणा का स्तर अधिक होता है वे क्रिया पर इतना केन्द्रित करते हैं और उसमें खो जाते हैं कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहता और अन्य कार्यों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं तथा एक बहाव में डूब जाते हैं।

जब विद्यार्थी आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होकर कक्षा क्रियाओं में अपने को लगाते हैं तो उसके लाभदायक प्रभाव दिखाई देते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित विद्यार्थी दिए गए कार्यों को अपनी इच्छा से करते हैं तथा अध्ययन सामग्री को सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। वे अधिक प्रभावी ढंग से सूचना संसाधन करते हैं (सार्थक अधिगम में परियुक्त होकर) तथा ऊँचे स्तर को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत बाह्य तौर पर अभिप्रेरित विद्यार्थियों को प्रलोभन देना पड़ता है या उन्हें उकसाना पड़ता है तथा संभव है वे सूचना संसाधन केवल ऊपरी तौर पर करें तथा वे सदैव केवल सुलभ कार्यों व कम से कम कक्षा आवश्यकताओं को ही पूरा करने में रुचि रखते हैं।

प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी आमतौर पर विद्यालय में नई वस्तुओं को सीखने के लिए उत्सुक और उत्साहित होते हैं। लेकिन कभी कभी कक्षा 3 से 9 के बीच उनकी सीखने की आंतरिक अभिप्रेरणा तथा विद्यालय विषयों में प्रवीणता प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। यह ह्रास संभवतः बहुत से कारकों का परिणाम है। जैसे–जैसे विद्यार्थी बड़े होते हैं उन्हें बार–बार अच्छे ग्रेड के महत्व के बारे में याद दिलाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए, स्नातक उपाधि के लिए तथा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए (बाह्य प्रेरक) जिसके कारण उनकी सारी कोशिश ऊँचे ग्रेड अंक, औसत आदि पर केन्द्रित हो जाती है। इसके अतिरिक्त वे संज्ञानात्मक रूप से दीर्घाकालिक लक्ष्य स्थापित करने तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तथा वे विद्यालय के विषयों का आकलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में देखते हैं न कि उनके आंतरिक आकर्षण/महत्व के रूप में। इसके अतिरिक्त जब वे विद्यालय के क्रियाकलाप को अत्यधिक संरचित, आवृत्तिमूलक तथा नीरस पाते हैं तो विद्यार्थी अधीर हो उठते हैं।

बाह्य अभिप्रेरणा निश्चित ही एक बुरी चीज नहीं है। आम तौर पर विद्यार्थी, एक–साथ आन्तरिक व बाहरी अभिप्रेरणा दोनों ही तरह से अभिप्रेरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, यद्यपि महेश अपनी लिखने की कक्षा में आनन्द महसूस करता है लेकिन वह यह भी जानता है कि अच्छे ग्रेड उसे राज्य परीक्षा बोर्ड की छात्रवृत्ति दिलाने में उसकी सहायता करेंगे। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने पर और भी अच्छे ग्रेड तथा अन्य बाह्य पुरस्कार, महेश के लिए यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह विद्यालय विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहा है और कुछ समय बाद यह बाह्य अभिप्रेरणा धीरे–धीरे उसके अंदर तक जा सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसा निर्णायक कारक है जो विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यापकों को प्रत्येक कदम पर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए।

3.4.3 सीखने की तत्परता के लिए परिपक्वता

अधिगम में अध्येता की अधिगम के प्रति उत्सुकता और इच्छाशक्ति अधिगम में उनके परिणाम के बारे में निर्णायक कारक हैं। यह समझा जाता है कि अगर सीखने वाले की इच्छा है तो वह प्रभावी अधिगम के लिए अपने आप ही तरीके ढूँढ लेगा। दूसरे शब्दों में, किसी कार्य या कौशल को सीखने के लिए सीखने वाला पर्याप्त रूप से परिपक्व तो होना ही चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसी भी विशेष कौशल या अवधारणा को आसानी और कुशलता से सीखने के लिए सही और एक अत्यधिक उचित समय होता है। यह उचित समय तब आता है जब किसी के विकास के भौतिक, सांवेगिक तथा बौद्धिक पहलु इतने विकसित हो चुके हों, कि वह समस्या का अनुभव करके, आसानी से उसका समाधान भी ढूँढ ले। उदाहरण के तौर पर चार माह का बच्चा चल नहीं सकता क्योंकि उसमें भौतिक/शारीरिक परिपक्वता की कमी है या कह सकते हैं कि उसमें उस स्तर का विकास नहीं हुआ है, जो चलने के लिए चाहिए। इसी प्रकार 5 वर्ष के बच्चे के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि वह लोकतंत्र के बारे में या समाजवाद के बारे में बात करें क्योंकि वह अभी तक बौद्धिक तौर पर इन अवधारणाओं को समझने के लिए कुशल व तैयार नहीं है। परिपक्वता को एक स्थाई परिवर्तन के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है – वह परिवर्तन बौद्धिक, सांवेदिक, भौतिक कोई भी हो सकता है जो कि आयु बढ़ने के आधार पर हों तथा जिसमें निजी अनुभव का कोई लेना देना न हो। परिपक्वता एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार होती है तथा बच्चा अपने वातावरण के साथ परस्पर क्या क्रिया कर रहा है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। विद्यालयों में कार्यरत बहुत से विशेषज्ञ अध्यापक यह जानते हैं कि वे चाहे कितने भी अच्छे अध्यापक हैं या वे कितनी भी मेहनत करें, वह किसी विद्यार्थी को जबरदस्ती वह करने के लिए या सोचने

के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसके लिए वह विद्यार्थी जैविक तौर पर तैयार नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थी ही आयु व परिपक्वता अधिगम की तैयारी के लिए दूसरा विशेष पहलू है। इससे यह अर्थ निकलता है कि किसी बच्चे के लिए किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बच्चे में एक अपेक्षित बौद्धिक कौशल स्तर हो।

आपके लिए यह जानना भी आवश्यक है कि परिपक्वता में अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे नौ महीने के होते ही चलना आरंभ कर देते हैं जब यही कार्य कुछ बच्चे दो वर्ष के होकर करते हैं। कुछ बच्चे 3 वर्ष की आयु में बहुत अच्छी तरह से भाषा बोल लेते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसा 5 वर्ष की आयु तक करते हैं। इसलिए परिपक्वता को एक प्राकृतिक प्रणाली के रूप में समझना चाहिए जो कि विकास की अवस्थाओं को स्पष्ट करती है, परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर अधिकार स्थापित करता है।

आपको अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि जब तक बच्चा तैयारी का एक उचित स्तर ग्रहण नहीं करता तब तक उसे कुछ भी सिखाने की कोशिश करना बेकार है। यह इस बात को भी स्पष्ट करने में सहायता करती है कि किस प्रकार बच्चों में तत्परता की कमी तथा उचित परिपक्वता का न होना ही उनके किसी अवधारणा को ग्रहण न कर सकने तथा अच्छा निष्पादन न दिखा सकने के कारण हैं।

क्योंकि परिपक्वता ही बच्चों की अधिगम की तैयारी निर्धारित करती है इसलिए पाठ्यक्रम योजना बनाने वालों तथा अध्यापकों के लिए इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यह उन्हें यह निश्चित करने में सहायता करता है कि वे क्या पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ, कब पढ़ाएँ तथा इसके साथ वे यह भी जान जाएँगें कि उन्हें अपने विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएँ रखनी हैं? अब आप यह समझ पाएँगे कि बहुत छोटे बच्चों को लिखने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता। इसी प्रकार अगर किशोर बच्चों में मनोदशा में परिवर्तन हो रहे हैं तो यह उनके विकास रचनाओं (ढाँचों) के कारण हैं वे जानबूझ कर अभद्र व्यवहार या मनोदशा का बहाना नही कर रहे हैं।

3.4.4 संवेग

यह एक माना हुआ तथ्य है कि हमारे संवेग हमारे व्यवहार को संचालित व निर्दिष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार तो वह हमें इस ढंग से बाध्य करते हैं कि हमारे पास उनके अनुसार व्यवहार करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। संवेग ऐसी भावनाएँ हैं, जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं तथा हमें सभी खुशियों और दुखों का अनुभव करवाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संवेग नहीं है तो वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने में अपंग अनुभव करता है। इस प्रकार, संवेग हमारे व्यवहार को विशेष दशा देने तथा इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में हमारी सहायता करते हैं। संवेगों को हमारे शरीर तथा मन की एक उत्तेजित या उत्साहित अवस्था समझा जा सकता है। क्रो तथा क्रो (1973) के अनुसार "संवेग एक भावात्मक अनुभव है जिसके साथ व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक उत्तेजित अवस्थाओं का सामान्यीकृत रेखीय समायोजन आता है जो उसके प्रदर्शित व्यवहार में दिखाई देता है।" विभिन्न मनोवैज्ञानिक संवेगों को एक प्रकार की भावनाएँ या भावात्मक अनुभव कहते हैं जिसमें कुछ शारीरिक अथवा भौतिक परिवर्तन आ जाते हैं जो सामान्यतः उन्हें किसी न किसी प्रकार के व्यावहारिक कार्यों को करने की ओर अभिप्रेरित करते हैं। मानव में संवेगों का विकास अधिकांशतः परिपक्वता की प्रक्रिया तथा अधिगम द्वारा प्रभावित होता है। पहले यह कहा गया है कि संवेग मस्तिष्क मुख्यतः लिम्बिक तंत्र में उत्पन्न होते हैं। लिम्बिक तंत्र एक छोटी संरचना है जो मस्तिष्क के मध्य में स्थित होती है जोकि मस्तिष्क के मध्य में उसके निचले भाग

अर्थात् मस्तिष्क–स्तंभ तथा ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क झिल्ली के बीच होती है। मस्तिष्क–स्तंभ स्फूर्ति तथा जोश को नियंत्रित करता है तथा लिमबिक प्रणाली द्वारा कॉर्टेक्स को सांवेगिक संदेश भेजता है। हमारा अधिकतर सोच विचार कॉर्टेक्स में होता है तथा हमारी लिम्बिक प्रणाली भावनाओं तथा व्यवहार को निर्देशित करती है तथा समझाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम तथा संवेग दोनों ही क्रियाएँ मस्तिष्क में होती हैं। अधिगम का अर्थ है – ज्ञान तथा कौशल ग्रहण करना और इसके लिए चिन्तन की आवश्यकता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है और यह इस पर भी प्रभाव डालती है कि हम कैसे सोचते हैं।

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अधिगम तथा संवेगों में जटिल तथा द्वि–दिशीय संबंध है। जब हम किसी अच्छी घटना के बारे में सोचते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और जब हम किसी गुस्से वाली घटना को लेकर सोचते हैं तो हम इस पर भी गुस्सा महसूस करने लगते हैं। वैसे जब हमारा मन खुश होता है तो हमें खुशी देने वाले विचार ही आते हैं और अगर हमारा मन उदास है तो हमें उदास करने वाले नकारात्मक यादें तथा चित्र हमारे समक्ष उभरते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संवेग अधिगम को सकारात्मक तथा नकारात्मक, दोनों ढंगों से प्रभावित करती है। जब कोई विद्यार्थी सकारात्मक संवेगों का अनुभव करता है तो अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। जब कोई सीखने वाला नकारात्मक संवेगों का अनुभव करता है तो अधिगम प्रक्रिया अक्षम हो सकती है। नीचे दिए हुए चित्र में संवेगों की निरंतरता (सातत्य) को निरूपित गया है जिसमें सकारात्मक संवेगों से आरंभ कर अधिगम पर उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। सातत्य पर जिन संवेगों को सूचीबद्ध किया गया है, वह अधिगम को सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

3.4.5 रुचियाँ

रुचियाँ वास्तव में बहुत ही गहराई में स्थापित शीलगुण (अवधारणाएँ) हैं तथा किसी व्यक्ति की आवश्यकता संरचना द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसकी दृढ़ सामाजिक आवश्यकताएँ हैं, जैसे कि संबंध बनाना, लोगों से जुड़ना तथा पहचान पाना आदि तब वह अपनी सारी ऊर्जा शक्ति उन क्रियाओं की ओर लगाएगा, जिस ओर जाकर वह अपनी उन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे कि लोगों से मिलना–जुलना, क्लबों में जाना, संघों में भाग लेना, पार्टियों तथा सभाओं आदि में जाना। सिद्धांत के तौर पर रुचि को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक सीखा हुआ या अर्जित किया हुआ प्रयोजन है जोकि व्यक्ति की अन्तर्निहित आवश्यकताओं से उभरता है तथा उसके कार्यों को उस ओर ले जाता है जो उसकी आंतरिक आवश्यकता संरचना को संतुष्ट करें और उसे बनाए रखें। रूचियों की उत्पत्ति को निम्न प्रवाह आरेख द्वारा समझाया जा सकता है।

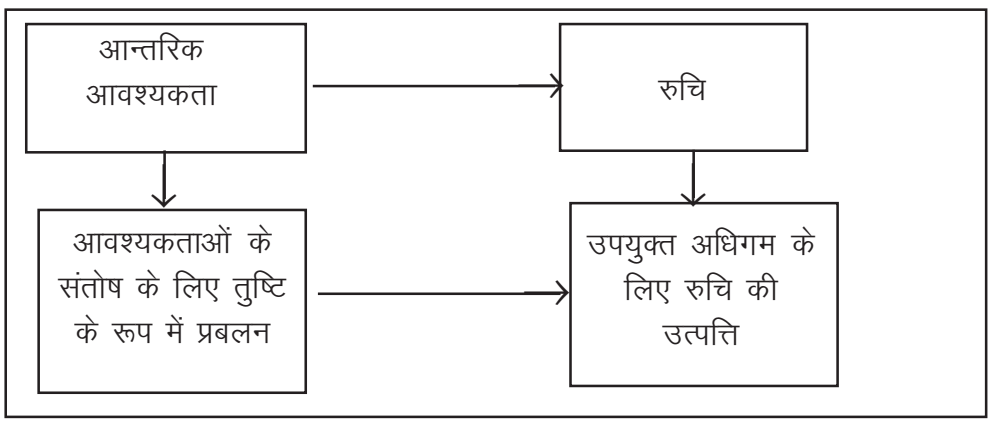

चित्र 3.2: रुचि की उत्पत्ति

व्यक्ति अपनी रुचियों के ढाँचों की दृष्टि से काफी भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता संरचनाएँ भिन्न हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए उनकी सामाजिक व सांवेगिक आवश्यकताएँ उनके मार्गदर्शन की शक्ति बन जाती हैं, दूसरे के लिए ऊँची संज्ञानात्मक आवश्यकताएँ या कलात्मक (सौंदर्य बोधक) आवश्यकताएँ प्रधान कारक हो जाती हैं। आयु की विविधता भी दिखाई देती हैं। छोटे बच्चों को क्रियाकलाप, खेलकूद तथा साहसिक कार्य करने की आवश्यकता होती हैं इसलिए वे खेल विधि से अधिक अच्छे ढंग से सीखते हैं। यह पढ़ाई में उनकी रुचि उत्पन्न करती है तथा कार्य में उनकी लगन को बनाए रखने में सहायता करती है। किशोरों या बड़ी आयु के अध्येताओं या विद्यार्थियों में सामूहिक संबंधों तथा साथ जुड़े रहने की आवश्यकताएँ काफी अधिक होती हैं इसलिए उनकी रुचि सदैव मनोरंजक सामूहिक क्रियाएँ जैसे कि पार्टियाँ, पिकनिक तथा सामाजिक यात्राओं आदि में देखी जाती हैं। इसलिए रुचियों का पता आयु संबंधी तथा मानवीय आवश्यकताओं दोनों द्वारा लगाया जाता है। ये उसे ही प्रभावित नहीं करती कि विद्यार्थी क्या अच्छा सीखता है बल्कि यह बताने में भी सहायता करती हैं कि अधिगम प्रक्रिया क्यों अपर्याप्त हो जाती है? आपने आमतौर पर अभिभावक–अध्यापक बैठकों में यह कहते सुना होगा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप उसमें रुचि लें तो। आपने विद्यार्थियों को भी कहते सुना होगा कि "हिन्दी पढ़ना कितना उकताने वाला है।" "मैं भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ सकता" – "इसकी विषयसामग्री में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।" मैं क्रिकेट मैंच क्यों देखने जाऊँ जबकि मुझे क्रिकेट में रुचि ही नहीं है। रुचि अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं जो विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। जैसे कि आपने ऊपर दिए हुए उदाहरणों से देखा कि बिना रुचि के अधिगम प्रक्रिया नहीं हो सकती है। किसी वस्तु, घटना या दूसरों के प्रति व्यवहार को प्राथमिकता देना रूचि नहीं हैं, यह आपको लगन और खुशी देती है तथा स्वैच्छिक होती है।

3.4.6 अभिवृत्ति

हमारी बहुत–सी पसंद, नापसंद, विश्वास तथा राय ऐसी होती हैं जो हमें कुछ विशेष ढंग से व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। उदाहरण के लिए, हम यह सोच सकते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ना बहुत अधिक कठिन है। और हम यह भी सोच सकते हैं कि ग्रामीण भारत में रहने का अर्थ है कि हम वेशभूषा तथा व्यवहार की परंपरागत शैली अपनाएँ। यह सभी पूर्वकल्पित विचार तथा धारणाएँ हैं जो हमारे मन में पहले से मौजूद हैं। इन्हीं को हम अभिवृत्ति कहते हैं। हमारा व्यवहार समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है तथा सामान्य तौर पर उसमें ज्ञान तथा भावना के अवयव हैं। हमारी अभिवृत्ति वस्तुओं, घटनाओं तथा व्यक्तियों के प्रति होती है। हमारी यह अभिवृत्ति सकारात्मक, नकारात्मक, या तटस्थ भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा झुकाव पुस्तकें पढ़ने, क्रिकेट खेलने तथा अच्छा स्वास्थ्य बनाने की ओर है तो हमारी पुस्तकों, खेलों, सुबह की सैर तथा व्यायामशाला इत्यादि की ओर सकारात्मक अभिवृत्ति होगी। किशोर पीढ़ी शहरी क्षेत्रों जैसे कपड़े पहनती हैं तथा जिस प्रकार व्यवहार करती है तथा समकालिक सिनेमा आदि अगर हमें पसंद नहीं है तो हमारी अभिवृत्ति उनके प्रति नकारात्मक होगी। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनके प्रति हम तटस्थ रहते हैं तो हमारा व्यवहार उनके लिए उदासीन रहता है। हमारे व्यवहार की दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात को प्रभावित करती है कि हम स्वेच्छा से तथा उत्साह से क्या सीखते हैं और हम क्या नहीं सीखना या करना चाहते और सिर्फ उसे टालना चाहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अंतर मन में स्थित नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण अभिप्रेरणात्मक तत्व है। विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति सकारात्मक व्यवहार है तो न केवल वह विद्यालय आना पसंद करेंगे बल्कि वह अच्छे परिणाम के लिए परिश्रम भी करेंगे

ताकि अध्यापक उन्हें पसंद करें तथा इसके लिए वे उस संस्कृति, लक्ष्यों तथा विद्यालय की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

अभिवृत्ति की अवधारणा से रूढ़ियों तथा पूर्वाग्रहों जैसी अवधारणाओं का नजदीकी संबंध है। आमतौर पर ये दोनों ही अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। पूर्वाग्रह को किसी घटना या वस्तु के प्रति एक नकारात्मक व्यवहार समझा जा सकता है जबकि रूढ़िगत अवधारणा एक मनःस्थिति है या एक अपेक्षा है जो किसी उद्दीपक स्थिति में किसी विशेष ढंग के व्यवहार की तत्परता को निरूपित है। पूर्वाग्रह तथा रूढ़िबद्धता, दोनों ही सीखे हुए व्यवहार हैं जोकि सांस्कृतिक अनुकूलन द्वारा आते हैं। इनका अधिगम में विशेष महत्व है क्योंकि यह दिशा तीव्रता, गंभीरता तथा वचनबद्धता को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं जिससे व्यक्ति किसी कार्य या अधिगम प्रक्रिया करता है। रुढ़िवादिता तथा पूर्वाग्रहों को मिटाना अत्यधिक कठिन है।

3.4.7 आत्म–संप्रत्यय

अधिगम के संबंध में व्यक्ति का आत्म–संप्रत्यय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बताता है कि व्यक्ति अपने बारे में तथा कार्य तथा उपलब्धि प्राप्त करने की योग्यताओं के बारे में क्या महसूस करता है। आत्म–संप्रत्यय एक बड़ा शब्द है जिसमें आत्म–धारणा, आत्म–सम्मान तथा आत्म–क्षमता जैसी उप–श्रेणियाँ आती हैं। आइए, इन तीनों को समझने की कोशिश करें क्योंकि इनका अधिगम प्रक्रिया पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आत्म–धारणा का संकेत व्यक्ति के अपने स्वयं प्रति अवबोधन की ओर है जो उसकी शक्तियों, क्षमताओं तथा उसकी क्या कमजोरियों तथा सीमाओं का बोध कराता है। यह आमतौर पर व्यक्ति के आत्म–विश्लेषण ऊर्जाओं पर आधारित होता है या जो वास्तविक उसके जीवन अनुभवों से जुड़े हैं। आपने बहुत से विद्यार्थियों को यह कहते सुना होगा कि मैं गणित, कला तथा अंग्रेजी विषयों में अच्छा हूँ लेकिन विज्ञान और भूगोल में बहुत बुरा। यह निर्णय उन्हें अपने बारे में समय के साथ इन विषयों को समझ कर लिया। यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जो विद्यार्थी ऐसा महसूस कर रहा है कि वह गणित तथा अंग्रेजी विषयों में अच्छा है, वह इन विषयों को उन विषयों की तुलना में, जिनमें वह अपने आपको कमज़ोर समझता है, काफी रुचि तथा उत्साह के साथ पढ़ेगा। यह अन्य कार्यों और क्रियाओं पर भी लागू होता है। जो विद्यार्थी यह समझते हैं कि वे खेल, कला तथा सृजनात्मक कार्यों में कमज़ोर हैं वे इन कार्यों से बचना चाहेंगे तथा इन्हें करने या सीखने में अधिक समय लेंगे तथा उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

इस प्रकार आत्म–धारणा हमारी सीखने की गहनता तथा दिशा को प्रभावित करता है। आत्म–धारणा से बहुत निकटता से जुड़ी अवधारणा है। आत्म–सम्मान उस मूल्य को बताता है जो व्यक्ति अपने लिए निर्धारित करता है। वह व्यक्ति के अपने गुणों तथा योग्यताओं के बारे में स्वयं के विचार होते हैं। ये विचार वैयक्तिक अनुभव तथा वैयक्तिक विश्लेषण पर ही आधारित नहीं होते बल्कि उस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, कि कोई व्यक्ति अपने प्रति दूसरों के विश्वास (स्वीकरण) तथा पहचान को कैसे देखता है। आत्म–सम्मान इस प्रकार आत्म–संप्रत्यय का मापित अवयव है। यह एक तरह से स्व–मूल्यांकन है। आइए, नीचे दिए उदाहरण द्वारा आत्म–सम्मान को समझने का प्रयास करें।

भारती पिछले चार वर्षों से पहेली प्रतियोगिताओं में अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रही है। जबसे वह इस टीम का हिस्सा बनी है, विद्यालय की सदैव ही जीत होती है। अध्यापक तथा प्रधानाचार्य उसके इस योगदान का बहुत सम्मान करते हैं। इस सम्मान ने उसे एक नई पहचान दी है तथा अपने तथा अपनी योग्यता के बारे में बहुत ही

सकारात्मक विचार पनपे हैं। भारती की आत्म–धारणा बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि वह उसके स्वयं के सकारात्मक आत्म–सम्मान तथा आत्म–धारणा पर आधारित है। वह पहेली प्रतियोगिताओं के बारे में सदैव उत्साहित रहती है, इसलिए अधिक पढ़ती, सीखती तथा ज्ञान प्राप्त करती है। उसके शैक्षिक निष्पादन से भी यह प्रतिबिम्बित होता है। वह सदैव नई चीजें सीखने को तत्पर है तथा इस तैयारी के लिए वह कितना भी समय तथा ऊर्जा लगाने को तैयार है। क्योंकि ऐसा करना उसमें अपने बारे में अच्छी भावना की निर्माण करता है।

यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि न केवल हमारे अपने निर्णय बल्कि हमारे बारे में दूसरों की राय भी हमारे आत्म–सम्मान को प्रभावित करते हैं। आत्म–सम्मान तथा आत्म–धारणा आत्म–क्षमता की अवधारणा से बहुत निकट से जुड़े हैं। आत्म–क्षमता का अर्थ है अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास। आत्म–क्षमता ऐसे प्रश्नों को उठाता है "क्या मैं सफल हूँगा या असफल?" क्या मुझे पसंद किया जाएगा?" हम भविष्य के परिणामों की अपने भूतकाल के अनुभवों पर तथा दूसरों के बारे में हमारे प्रेक्षणों पर आधारित करते हैं। किसी क्षेत्र में हमारी योग्यता के विषय में ये भविष्य कथनँ हमारी अपनी आत्म–क्षमता द्वारा प्रभावित होते हैं। लोगों की आत्म–क्षमता की अपेक्षाएँ बहुत सारे श्रोतों से प्राप्त हो सकती हैंः प्रत्यक्ष अनुभव से, दूसरों के अनुभवों की व्याख्या से, उनकी राय, जो कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि वे क्या कर सकते हैं तथा उनके अभिप्रेरणात्मक तथा सांवेदिक अवस्था का दूसरों द्वारा मूल्यांकन से। आमतौर पर, अगर किसी की आत्म–क्षमता ऊँची है तो इस बात की काफी संभावना है कि वह अधिक सीखेगा तथा इच्छित परिणाम को अच्छे ढंग से प्राप्त करेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की आत्म–क्षमता उन्हें भविष्यवाणियों को स्वयं पूर्ण करने की ओर ले जाता है। जब विद्यार्थियों की आत्म–क्षमता होता है कि वह कुछ करने योग्य हैं तो सम्भावित है कि वे अधिक प्रयास करेंगे तथा अधिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे। इससे, उन्होंने जो सीखने के लक्ष्य बनाए होते हैं वह उन्हें ही नहीं, उससे भी अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक सफलता दूसरी सफलता की ओर अग्रसर करती है तथा उन्हें इन इच्छित परिणाम को पूरा करने तथा सीखने में लगातार सफलता पाने में उनकी सहायता करती है। इसके विपरीत यदि विद्यार्थियों में आत्म–क्षमता का अभाव है तो वे यह सोच सकते हैं कि वे सफल होने के योग्य नहीं है और परिणाम के तौर पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक कि वे असफल भी हो सकते हैं जो उन्हें भविष्य में भी असफलता की ओर ले जा सकता है।

आत्म–क्षमता अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक आत्म–क्षमता असफलताओं की परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अधिक प्रयास करने तथा औधगम की ओर बढ़ाती है। लक्ष्य–निर्धारण द्वारा आत्म–क्षमता अभिप्रेरणा तथा अधिगम को भी प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र में हमारी आत्म–क्षमता अधिक है तो हम ऊँचे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अच्छा सीखेंगे, असफलताओं से कम घबराएँगें और अगर पुरानी तकनीकें असफल हो जाती हैं तो नई तकनीकों को खोजेंगे। अगर हममें आत्म–क्षमता का अभाव है तो हम कार्य को पूरी तरह नकार सकते हैं तथा समस्याएँ आने पर हार कर उसको छोड़ ही देंगे। आत्म–क्षमता, आत्म–सम्मान या आत्म–संप्रत्यय का पर्याय नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि इसमें उस विशेष कार्य के लिए विशेष योग्यता का निर्णय भी शामिल है। बल्कि दूसरी ओर आत्म–क्षमता का अभिप्राय स्व–मूल्यांकन तथा आत्म–संप्रत्यय के निर्णय से है तथा आत्म–संप्रत्यय अधिक व्यापक अवधारणा का अंग है, जिसमें आत्म–सम्मान तथा आत्म–क्षमता सम्मिलित हैं।

3.4.8 अधिगम शैलियाँ

व्यक्तियों की विभिन्न अधिगम परिस्थितियों के लिए अपनी–अपनी प्राथमिकता होती हैं। इन्हें अधिगम शैलियाँ कहते हैं। अधिगम शैलियों से संबंधित सिद्धांत इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति विभिन्न तरीके से सीखते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति का सीखने की अपना एक अनोखी शैली होती है। आपने यह देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सुबह–सुबह अच्छा सीखते हैं तथा कुछ रात्रि में, कुछ व्यक्ति शोररहित शांत स्थानों पर बैठना पसंद करते हैं तथा कुछ को अपने अधिगम के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। कुछ विद्यार्थी खाने की मेज़ पर बैठकर अपने पढ़ने के साथ कुछ अल्पाहार या नाश्ता आदि खाते हुए अधिगम को अनुकूल परिस्थिति पाते हैं। जो विद्यार्थी संयुक्त परिवारों से आते हैं वे अपने अधिगम के ऐसे ढंग या शैली विकसित कर लेते हैं जो सामुदायिक स्थानों पर ही निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार अधिगम शैलियों का क्षेत्र सीधे भौतिक वातावरण के लिए प्राथमिकता से लेकर, अधिक मूलभूत अंतरों जो कि संस्कृति तथा व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, तक पहुँचता है। कुछ व्यक्ति जो कुछ वे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए गहराई में जाकर उसमें स्थित अवधारणा तथा उसके अर्थ को जानना चाहते हैं। कुछ अन्य सतही मार्ग को अपनाते हैं। उनका अधिक ध्यान स्मरण करने पर केन्द्रित होता है न कि उसके विश्लेषण को समझने पर। यह अक्सर देखा गया है कि जो सतह मार्ग को अपनाते हैं उनकी अभिप्रेरणा अच्छे अंकों की प्राप्ति तथा अन्य बाहरी पुरस्कार होते हैं। जबकि जो गहन मार्ग अपनाते हैं वह अधिगम में आनंद महसूस करते हैं तथा अधिगम के लिए ही सीखते हैं तथा बाहरी मूल्यांकन पर कम ध्यान देते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार अधिगम शैलियों में इससे भी और अधिक अंतर पाए गए हैं। उदाहरण के लिए, आप सोचेंगे कि जिन लोगों से आप मिलते हो उनके नाम कैसे याद रख लेते हो? क्या आप नामों से तब अच्छी तरह सीखते हैं जब ये लिखे हुए हों? अगर ऐसा है तो आप एक देखकर सीखने वाले विद्यार्थी हैं जो देखने और पढ़ने से सबसे अच्छा सीखते हैं। अगर आप सुनकर अच्छा सीखते हैं तो आप एक श्रवणात्मक विद्यार्थी हैं। अधिगम शैलियों का दूसरा ढाँचा (नमूना) है क्षेत्र–आश्रिता बनाम–क्षेत्र स्वतंत्रता। क्षेत्र–आश्रित व्यक्ति ढाँचों (पैटर्न) को समग्र रूप में देखता है तथा उसे किसी पैटर्न के विशिष्ट पहलुओं को अलग करने में कठिनाई होती है जबकि क्षेत्र–स्वतंत्र व्यक्ति पैटर्न के विभिन्न अंगों को अधिक आसानी से देख लेता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शैली जिसमें भी व्यक्तियों में भिन्नता देखी जाती है, वह है "आवेगिता" (आवेगशीलता) बनाम "विचारशीलता"। आवेगी व्यक्ति कार्यों को शीघ्रता से करते हैं तथा शीघ्रता से फैसले भी लेते हैं। जबकि विचारक प्रकार के व्यक्ति सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर निर्णय करने में लम्बा समय लेंगे।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

2) विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों की सूची बनाएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

3) आपकी राय में बुद्धि का स्तर बच्चों में अधिगम को कैसे प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) नीचे दिए हुए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा जब उनका आत्म–संप्रत्यय तथा अधिगम की शैली पहचाना अधिगम के साथ उनके संबंध के बारे में बताएँ।

क) 14 वर्ष की नमिता गणित से बहुत डरती है। जब भी वह अपनी गणित की पुस्तक खोलती है वह भावशून्य हो जाती है। यद्यपि वह विद्यालय में, अन्य सभी विषयों में अच्छी है। वह अपनी गणित कक्षा में बहुत अधीर हो जाती है तथा हर समय गलतियाँ करती रहती है। अधिकतर बच्चे उस पर हँसते हैं। उसकी गणित की अध्यापिका हमेशा उसे डाँटती रहती है। नमिता घर पर बहुत अभ्यास करती है तथा घर अपने गणित पढ़ाने आने वाले शिक्षक के सामने सभी प्रश्न ठीक से हल करती है। वह प्रत्येक अभ्यास को पूरी तरह अपने घर के एक शांत कोने में बैठ कर करती है। उसका सपना है कि वह एक दिन गणित में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त करे।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ख) समीर काफी सृजनात्मक लड़का है। वह विद्यालय में ऊब जाता है क्योंकि कक्षा की आम पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है। उसे पाठ्यक्रम उत्साहहीन, बहुत ही अधिक किताबी तथा अभिप्रेरणादायक नहीं लगता। उसकी अनोखी इच्छा है कि वह ऐसी कार का नमूना तैयार करे जो पानी पर चले। वह स्वचालित वाहनों तथा उनके नमूनों के बारे में अधिक जानकारी करने की कोशिश करता रहता है। उसके माता–पिता उसके बारे में चिन्तित हैं क्योंकि विद्यालय में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। वह बहुत कम पढ़ता है तथा अपने विद्यालय की पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी पुस्तकें पढ़ता रहता है। उसके अध्यापक उस पर बहुत ध्यान नहीं देते क्योंकि वे उसे एक अनोखा पागल व्यक्ति समझते हैं, फिर भी समीर न तो उदास है और न ही परेशान, तथा अपने शौक को पूरा करने में लगा हुआ है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक (वातावरण संबंधी) कारक

जिस सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण में बच्चा बड़ा होता है उसकी अधिगम प्रक्रिया पर उस वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, सारा अधिगम, किसी व्यक्ति के सांस्कृतिक संदर्भ में ही होता है। मनोविज्ञान का सामाजिक रचनाकार सिद्धांत के अनुसार सारा अधिगम संस्कृति अनुकूल तथा संस्कृति द्वारा संचालित होता है। अपनी समझ के लिए हम सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों को (क) परिवार, (ख) अड़ोस–पड़ोस तथा समुदाय; और (ग) सामाजिक–सांस्कृतिक भिन्नताएँ जैसे जाति, वर्ग, नृजाति, धर्म आदि में विभाजित कर सकते हैं।

किसी व्यक्ति की समाजीकरण क्रिया में परिवार का पहला तथा सबसे अधिक मूलभूत प्रभाव होता है। परिवार के अंदर ही बच्चा जीवित रहने के लिए व्यवहार के विभिन्न प्रतिरूप, सामाजिक कौशल, अभिवृत्तियाँ, अंतःव्यक्तिगत कौशल, सामाजिक मानदंड तथा अपनी संस्कृति व समुदाय के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा गलत और सही का भाव या बोध प्राप्त करता है तथा मूल्य निर्धारित करना आदि सीखता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परिवार ही संपूर्ण अधिगम स्थल है। एक परिवार में माता–पिता के साथ संबंध विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बच्चों तथा माता–पिता के संबंध पारस्परिक विश्वास और सम्मान पर आधारित हैं तो यह बच्चे को एक अनुकूल वातावरण देकर उसके अधिगम को आसान कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक विकृत तथा अस्वस्थ वातावरण विद्यार्थी के अधिगम पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे परिवारों में बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं।

जिस समुदाय तथा अड़ोस–पड़ोस में बच्चा पलता है, उसका भी बच्चे के अधिगम पर प्रबल प्रभाव होता है। बच्चे के बहुत सी अभिवृत्तियाँ व्यवहार, आदतें, विश्वास, समझ, रूढिबद्ध धारणाएँ, सामाजिक भूमिकाएँ तथा ज़िम्मेदारियाँ आदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसके अड़ोस–पड़ोस में रह रहे व्यक्तियों से प्राप्त अनुभवों द्वारा ही प्राप्त होती है व आकार लेती है। इन व्यक्तियों में उसके साथी–संगी तथा सभी बुजुर्ग आते हैं। उनसे बच्चा अनुकूलन, सामाजिक सीख, प्रत्यक्ष अनुदेश तथा प्रतिरूपण द्वारा बहुत–सी चीजें सीखता है।

स्वस्थ समकक्ष व्यक्ति संबंध भी अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों का कक्षाकक्ष संबंध, विद्यालय तथा समाज इत्यादि एक विशेष तरह का संवेगात्मक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। एक दृढ़ संगी साथी वर्ग संबंध एक तनावरहित वातावरण प्रदान करता है तथा उसे अधिक सीखने व प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करता है। अगर समकक्ष साथी संबंध अच्छे नहीं हैं तो यह उसके अधिगम पर उल्टा प्रभाव डालता है। इसलिए, यह परामर्श दिया जाता है कि कक्षा अधिगम वातावरण में सुधार लाने के लिए अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के दौरान खुली चर्चाओं का प्रावधान किया जाए। विद्यार्थियों को बिना रोकटोक अध्यापकों से तथा एक–दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित किया जाए। अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न भी हो जाए तो उसे उसी समय स्पष्ट कर दिया जाए ताकि समकक्षों में एक स्वस्थ वातावरण तथा मधुर संबंध बनाए रखें जा सकें।

हमारे देश में जाति, वर्ग, तथा धर्म हमारी पहचान को, हमारे आत्म–संप्रत्यय, मूल्य अभिवृत्तियों का निर्धारण, लक्ष्यों तथा हमारी उपलब्धियों के प्रतिमानों को एक रूप देने में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जिस समूह से हम संबंध रखते हैं उसकी सामाजिक–आर्थिक प्रतिष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से हमारे अधिगम वातावरण के संवर्धन

या अभिप्रेरण से जोड़ा जा सकता है जो हमें प्राप्त है। यह देखा गया है कि एक पर्याप्त रूप से समृद्ध और प्रेरक वातावरण एक अशक्त या अभावग्रस्त वातावरण की तुलना में विद्यार्थी को सीखने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है तथा वातावरण पर अधिक नियंत्रण देता है।

अधिगम को धार्मिक तथा मानवजातीय समूहों में उनके आस्थाओं, मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा प्रथाओं में भिन्नता होने के कारण बदलते देखा गया है। अखिल भारतीय संस्कृति में हमें यह सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि हम स्वायत्तता, स्वतंत्रता, तथा अपने जीवन को नियंत्रित करने की समझ विकसित करें। बहुत से परंपरागत (रुढ़िवादी) समुदायों में लड़कियों की सामाजिक स्तर पर शिक्षा पूर्वग्रहों तथा निषेधाज्ञाओं से भरी है जिन्हें धार्मिक आस्थाओं के नाम पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास जाता है। विद्यार्थियों को दिए जाने अधिगम अनुभवों के प्रकार भी विभिन्न धर्मों और भौगोलिक स्थितियों में भिन्न होते हैं।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण हमें एक अधिगम रूपरेखा उपलब्ध करवाता है। अधिगम हमारे अनुभवों को अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने तथा इस अर्थ–निर्माण प्रक्रिया में हमारी सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियों तथा प्राप्त प्रशिक्षण भी अपना प्रभाव डालते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

5) विद्यार्थियों में पारिवारिक वातावरण किस प्रकार अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) आपने अपनी कक्षा में ही अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत–सी सामाजिक–सांस्कृतिक भिन्नताओं को देखा होगा। यह भिन्नताएँ विद्यार्थियों के अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? उदाहरण सहित चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.6 अधिगम को प्रभावित करने वाले विद्यालय संबंधित कारक

यह माना गया है कि अधिगम विद्यालय द्वारा तथा विद्यालय के वातावरण द्वारा काफी प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। "विद्यालय वातावरण" शब्द में विद्यालय–संस्कृति तथा विद्यालय–वातावरण दोनों ही शामिल हैं और यह दोनों ही बच्चों तथा अध्यापकों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। विद्यालय–संस्कृति किसी बड़ी जिलास्तरीय संगठन की साझी की आस्थाओं तथा अभिवृत्तियों को चित्रित करती है तथा इसकी अंतरंग इकाइयों के लिए सीमाएँ निश्चित करती हैं। विद्यालय–वातावरण संस्था की विद्यालय भवन तथा कक्षा स्तर की विशेषता बताती है। यह "विद्यालय" का अहसास कराती है कि वह कैसा लगता है तथा यह अहसास एक ही क्षेत्र में विद्यालय से विद्यालय में भिन्न होता है। जहाँ कोई विद्यालय विशेष बड़े संगठन से स्वतंत्र होकर भी अपना वातावरण विकसित कर सकता है, परंतु क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर विद्यालय की संस्कृति में लाया परिवर्तन, विद्यालय के वातावरण पर भवन स्तर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। विद्यालय–संस्कृति उन साझे विचारों–मान्यताओं, मूल्यों तथा आस्थाओं को दर्शाती है जो किसी संस्था को अपेक्षित व्यवहारों के लिए इसकी पहचान तथा मानक रूप प्रदान करते हैं। ये विचार उस संस्था में गहराई से स्थापित होते हैं तथा एक सीमा तक अनजाने में ही काम करते रहते हैं। वह इतने गहरे और पक्के होते हैं कि उन्हें उपस्थित ही मान लिया जाता है। अध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी बाहर की अपेक्षाओं (उदाहरण के लिए माता–पिता तथा समुदाय) तथा आन्तरिक अपेक्षाओं (उदाहरणार्थ, उच्च प्रशासन द्वारा तथा ऊँचे सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की सूचना) के आधार पर अपनी अनुक्रियाएँ संरचित करते हैं। विद्यालय–संस्कृति पुराने अनुभवों पर आधारित होती हैं जो कि भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के लिए हमें एक सांचा देती है जो दर्शाता है कि हम इस संस्थान में कैसे कार्य करते हैं। विद्यालय–संस्कृति किसी भी संस्थान के वातावरण, आस्थाओं तथा उसके नैतिक नियम संहिता में दिखती है। किसी विद्यालय संस्कृति की विशेषताओं का पता उसके विविध स्तरों से लगाया जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं:

- **शिल्पकृतियाँ तथा प्रतीक:** जिस रूप में इमारत को सजाया जाता है तथा उसका रखरखाव किया जाता है।

- **मूल्य:** जिस ढंग से कर्मचारी, प्रधानाचार्य तथा प्रशासक कार्य करते हैं तथा परस्पर व्यवहार करते हैं।

- **मान्यताएँ:** वे आस्थाएँ जो मानवीय स्वभाव के बारे में स्वीकार्य हैं।

दूसरी तरफ, विद्यालय वातावरण विद्यालय के भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दर्शाता है, जो परिवर्तन के लिए अधिक सुग्राही हैं तथा जो अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाते हैं। विद्यालय वातावरण विद्यालय की उन भावनाओं तथा व्यवहारों पर केन्द्रित होता है जो उसके अध्यापक, कर्मचारी तथा माता–पिता अभिव्यक्त करते हैं – जिस प्रकार विद्यार्थी व कर्मचारी प्रत्येक दिन विद्यालय जीवन में महसूस करते हैं। जब विद्यालय शिक्षण सुधारों तथा शैक्षिक निष्पादन की चर्चा होती है तो विद्यालय वातावरण चर्चा का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका ज़िक्र उस समय भी होता है जब धमकाना–डराना, विद्यार्थियों के आपसी झगड़े, आत्महत्या, चरित्र शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा आदि समस्याओं के सशक्त समाधान निकालने के लिए चर्चा की जाती है। यद्यपि विद्यालय वातावरण के अवयवों या उनके महत्त्व पर संबंधित साहित्य में कोई एक मत नहीं है लेकिन अधिकांश लेखक इस बात पर बल देते हैं कि दूसरों की

परवाह करना, उन पर ध्यान देना ही एक मूल तत्व है। यद्यपि, कुछ सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं, विद्यालय वातावरण को "एक सुव्यवस्थित वातावरण जिसमें विद्यालय परिवार अपने आपको महत्वपूर्ण समझता हो तथा विद्यालय के उद्देश्यों तथा मिशन को सुरक्षा तथा अवरोधों की चिंताओं से मुक्त आगे बढ़ाया जा सकें" के रूप में परिभाषित करते हैं। विद्यालय वातावरण के बहुत से भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलू मिलकर विद्यालय के वातावरण को बनाते हैं। नीचे दिए आठ क्षेत्र विद्यालय वातावरण को बनाते हैं:

- भौतिक संरचना तथा बनावट
- संकाय संबंध
- विद्यार्थियों में अन्योन्य क्रिया
- नेतृत्व/निर्णयन अनुशासित वातावरण
- अधिगम वातावरण
- अभिवृत्ति तथा संस्कृति
- विद्यालय–समुदाय संबंध

इस सारांश में दिया हुआ समाविष्ट दृष्टिकोण, विद्यालय के वातावरण को, विद्यालय पर्यावरण के चार पहलुओं के रूप में परिभाषित करता है:

- ऐसा भौतिक वातावरण, जो अधिगम के लिए प्रेरक तथा स्वागतकारी हो।
- एक सामाजिक वातावरण, जो आपसी वार्तालाप व अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करें।
- एक भावात्मक वातावरण, जो आत्म–सम्मान तथा अपनत्व के बोध को प्रोत्साहित करें।
- एक शैक्षिक वातावरण, जो आत्म–परितोष तथा अधिगम को प्रोत्साहित करें।

विद्यालय वातावरण के ये विभिन्न पहलू एक–दूसरे से स्वतंत्र कार्य नहीं करते। उदाहरण के लिए, भौतिक वातावरण सामाजिक परस्पर क्रिया को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित दोनों ही कर सकता है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया एक भावात्मक तथा स्नेही व संवेदनशील वातावरण को सुगम बनाता है, कुल मिलाकर भौतिक, सामाजिक तथा भावात्मक वातावरण एक साथ शैक्षिक वातावरण में योगदान देते हैं तथा शिक्षण–वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं।

इसके अतिरिक्त एक विद्यार्थी को विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों द्वारा उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है। भौतिक संसाधनों में उचित अधिगम सामग्री उपलब्धता, अध्यापन–अधिगम सहायक सामग्री, विद्यालय भवन, कक्षाकक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला सुविधाएँ, खेल के मैदान, खेलों का सामना, बिजली की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, बैठने का सही प्रबंध आदि आते हैं। इन भौतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा गुणवत्ता ही विद्यार्थियों में अधिगम प्रभाविता को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय की नीतियाँ, विद्यालय प्रशासन की प्रकृति, ज़िम्मेदारियों तथा उत्तरदायित्वों का बँटवारा, संस्थान के मुखिया द्वारा किया गया नेतृत्व, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन यह सभी कारक अधिगम की प्रभाविता का निर्णय करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणीः क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

7) उन कारकों की सूची बनाएँ जो आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

8) विद्यालय संस्कृति तथा विद्यालय वातावरण में अंतर बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 अधिगम को प्रभावित करने वाले अध्यापन–अधिगम संबंधी कारक

3.7.1 अधिगम की विधियाँ

कैसे पढ़ें? जैसे प्रश्न अधिगम की विधियों से जुड़े हैं। पढ़ने की सही विधियाँ सदैव अधिगम को बढ़ावा देती हैं। प्रभावी अधिगम पठित सामग्री की अच्छी स्मृति को उन्नत करता है। अधिगम की गुणवत्ता, एक शिक्षक तथा एक सीखने वाले के पूर्व अनुभवों, तथा वर्तमान नई जानकारी से जोड़ने की योग्यता पर निर्भर करता है जो विद्यार्थी को नई जानकारी को समझने तथा आत्मसात करने में सहायता करती है। इस प्रकार यदि अधिगम अनुभवों को विभिन्न विषयों या क्षेत्रों या वास्तविक जीवन की घटनाओं या स्थितियों से जोड़ दिया जाए तो अधिगम में अच्छे परिणाम की अपेक्षा की जा सकती है।

ज्ञानेन्द्रियाँ भी अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। एक विद्यार्थी को अधिक लाभ होता है। जो अपनी अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग करता है दूसरे के मुकाबले जो ऐसा नहीं करता। दोहराना तथा अभ्यास करना, दोनों ही अधिगम प्राप्ति में अच्छे परिणाम लाते हैं। एक विद्यार्थी जो पर्याप्त अभ्यास कार्य करता है, दोहराता है तथा अधिगम कार्य का पुनर्रीक्षण करता है उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह सामग्री के प्रतिधारण, पुनःप्रस्तुतीकरण तथा सही समय पर उपयोग करने के रूप में बहुत अच्छा होगा। इसके साथ–साथ अधिगम विद्यार्थी को अधिगम कार्य में दिए गए प्रबलन की गुणवत्ता तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों को तुरंत प्रबलन देने के लिए परिणामों और प्रगति का ज्ञान भी प्रभावी होता है। अध्यापन क्रिया में अधिगम के परिणाम अधिकतर अध्यापकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकों तथा विधियों द्वारा भी प्रभावित होते हैं, जो किसी विशेष विषय या विषय सामग्री के पठन में प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने के लिए अध्यापक नियंत्रित विधियों तथा तकनीकों

की तुलना में विद्यार्थी–केन्द्रित अध्ययन विधियाँ, जो अध्यापक–विद्यार्थी अन्योन्य क्रिया पर आधारित हैं, अधिक लाभदायक हैं।

3.7.2 अधिगम पर संचार माध्यमों का प्रभाव

आजकल बच्चे संचार माध्यम के वर्चस्व वाले संसार में जन्म लेते हैं, बढ़े होते हैं तथा रहते हैं। संचार माध्यमों को सूचना प्रेषण का एक महत्वपूर्ण अवयव समझा जाता है। सभी संचार माध्यम मूल रूप में प्रेषण–संचार माध्यम हैं क्योंकि वे भेजने वाले के ओर से प्राप्त करने वाले को सूचना प्रेषित करते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा प्रेषित सूचनाओं को प्राप्त करके विद्यार्थी उन्हें आत्मसात करता है। संचार माध्यमों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जाता हैः मुद्रित तथा अमुद्रित संचार माध्यम। मुद्रित संचार माध्यमों से अभिप्राय छपी हुई या मुद्रित सामग्री से है, यह सस्ता पड़ता है तथा परंपरागत शिक्षा स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन यह शिक्षा देने का अकेला या संपूर्ण माध्यम नहीं है। अमुद्रित (Non-print) संचार माध्यम जिसे आधुनिक इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम के रूप में जाना जाता है, उसकी कुछ अद्वितीय विशेषताएँ हैं जो कुछ परिस्थितियों में अधिगम को मुद्रण संचार माध्यमों के मुकाबले अधिक तेजी देती हैं। यह मुद्रित सामग्री के मुकाबले में विविध अधिगम लक्ष्यों को अधिक दक्षता से प्राप्त करने में सहायता करते हैं। कुछ अमुद्रित संचार माध्यमों का आकार तथा प्रेषण विधियाँ बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं में अधिक योगदान देते हैं। यह विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक तौर पर उत्तेजित करके अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संचार माध्यम बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने में अति लाभदायक हैं। लेकिन संचार माध्यमों का उचित प्रयोग करने के लिए भली–भाँति विकसित मीडिया विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता है अगर यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं तो संदेश को गलत समझा जा सकता है या अविवेचित रूप में प्राप्त या स्वीकार किए जा सकते हैं या उसका उत्तर दिया जा सकता है। संचार माध्यमों को सकारात्मक रूप में प्रयोग करने के लिए विद्यार्थी को यह सीखने की आवश्यकता है कि वे शब्दों–युग्मों के समूह को चलचित्रों, मानचित्रों, चित्रों तथा चिन्हित निरूपणों की समीक्षात्मक रूप से व्याख्या कैसे करेंगे। समालोचनात्मक विद्यार्थी इन संचार माध्यमों का विभिन्न शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनमें से कुछ मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैंः

- ज्ञानरंजन (Infotainment) तथा मनोरंजन के माध्यम के रूप में उदाहरण के लिए सूचना व मनोरंजन
- कक्षा अधिगम के संवर्धन के माध्यम के रूप में
- एक बड़े अधिगम स्रोत के तौर पर
- सृजनात्मक अभिव्यक्ति को परिष्कृत करने या विकसित करने के साधन के रूप में
- माध्यम–विशिष्ट संवेदी कौशलों तथा उच्च–स्तरीय बौद्धिक कौशलों को और विकसित करने के साधन के रूप में

संचार माध्यमों का सही प्रयोग एक विद्यार्थी को अपनी तथा अपने समुदाय की सोच को परिवर्तित करने योग्य बना सकता है। तथा इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में सहायता कर सकता है। अगर शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य किसी व्यक्ति को (जीवन में आने वाली अनिश्चिताओं के प्रति) सृजनात्मक तथा निर्णायक उत्तर देने के लिए तैयार करना है। तो जन संचार माध्यमों का सही उपयोग एक वास्तविक धरोहर साबित हो सकता है। संचार माध्यम वैकल्पिक संभावनाओं की एक ऐसी झाँकी उपलब्ध करवा सकते हैं तथा विद्यार्थियों को ज्ञान का एक नया मानचित्र तैयार

करने में सहायता कर सकता है जिसमें बौद्धिक विश्लेषण व संश्लेषण अधिक बल दिया गया हों।

3.8 सारांश

इस इकाई में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों पर चर्चा की। अधिगम पर किसी भी चर्चा में हमने हर समय उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानने की कोशिश की, यह विचार किए बिना कि वे कारक मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक–सांस्कृतिक हैं, विद्यालय संबंधी हैं या फिर अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया संबंधी। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारकों में बुद्धि, अभिप्रेरणा, आत्म–संप्रत्यय, अभिवृत्ति, रुचियाँ, सीखने की विधि तथा संवेग आदि आते हैं। इसी प्रकार अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों में परिवार, घर का वातावरण, अड़ोस–पड़ोस, समुदाय तथा साथी–समूह आते हैं। विद्यालय वातावरण संबंधित कारक जिनका विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है वे हैंः विद्यालय का वातावरण, विद्यालय की कार्यनीति, विद्यालय की भौतिक अवसंरचना उसकी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप पढ़ाने व सीखने की विधियाँ, अधिगम के लिए अपनाए जाने वाले माध्यम इत्यादि आते हैं। ये विभिन्न कारक विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया द्वारा अधिगम को संयोजित करते हैं। इसमें से किसी भी कारक को एक–दूसरे से अलग करना कठिन है। आपने समझ लिया होगा कि कैसे इसमें से प्रत्येक कारक की व्यक्तिगत भिन्नताओं में उनकी प्रवृत्ति तथा अधिगम से उनका संबंध की संकल्पना करके उसे समझा जाता है।

3.9 इकाई के अंत में अभ्यास

1) अपने विद्यालय में पढ़ने वाले किन्हीं दो विद्यार्थियों का विद्यालय में निष्पादन तथा उपलब्धियों के बारे में साक्षात्कार करें।

2) 10 विद्यार्थियों के प्रगति पत्रों (report card) का विश्लेषण करें। ग्रेडों, अंकों तथा टिप्पणियों के आधार पर उन संभव कारकों तक पहुँचने की कोशिश करें, जिन्होंने उनमें अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

3.10 चर्चा के बिन्दु

1) किसी भी अधिगम कार्य या क्रिया में प्रदर्शन, निजी तथा वातावरण संबंधी कारक दोनों पर आधारित है। चर्चा करें।

2) विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावित करने में तैयारी तथा परिपक्वता दोनों की भूमिका की चर्चा करें।

3) "किसी विद्यार्थी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें उसके दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य तथा उसके चारों तरफ की संपूर्ण दुनिया को, जिसमें वह विचरण करता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।" इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

4) हम विद्यालय जाते हैं या नहीं, पर हम सभी सीखते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम औपचारिक विद्यालय में नहीं जाते हैं तो वे कौन से कारक हैं जो हमारे अधिगम को आकार देते हैं?

5) विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक "विद्यालय वातावरण" की भूमिका की चर्चा करें।

6) अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया के समय प्रयोग में लाए जाने वाले विधियों तथा संचार माध्यमों का विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को उन उदाहरणों द्वारा पुष्ट करें, जिन्हें आपने अपनी कक्षा स्थितियों से लिया हो।

3.11 संदर्भ ग्रंथ तथा उपयोगी पठनीय सामग्री

बर्क, एल. ई, (2003) *चाइल्ड डेवलेपमेंट,* न्यू जर्सीः प्रिन्टिस हॉल।

भाटिया, एच. आर. (1968), *एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी,* (तृतीय संस्करण) कोलकता, ओरिंट लॉगमैन।

विने, अलफ्रेड, (1916), *न्यू मैथड्स फॉर दी डाइगनोसिज ऑफ दी इंटलैक्चुअल लेवल ऑफ सबनार्मलस, दी डेवलेपमेंट ऑफ इंटलीजेंस इन चिल्ड्रन,* द विने–साइमन स्केल, ई. एस. काइट (अनुवादित) बाल्टीमोरः विलियम्स एवं विकिन्स, पृ. 37–90

बर्ट, सी. (1995), दी एवीडेंस फॉर दी कंसेप्ट ऑफ इंटलीजेंस, *दी ब्रिटिश जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी,* 25(3), 158–177

चौहान, एस.एस. (1997), *एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी,* (छठा पुनर्संशोधित संस्करण), नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड।

क्रो, एल.डी. एवं क्रो, ए. (1973) *एजुकेशनल साइकोलॉजी,* नई दिल्लीः यूरेशिया पब्लिशिंग हाउस।

इगन, पी. एवं कोशक डी. (1999), *एजुकेशनल साइकोलॉजी,* न्यू जर्सीः प्रेन्टिस हॉल।

फ्यूरस्टीन, आर. (1990), *दी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल मोडिफाबिलिटी,* इन बी. प्रेससिन (संपा.), लर्निंग एंड थिकिंग स्टाइल्सः क्लासरूप इंटरएक्शन, वाशिंगटन, डी सीः नेशनल एजुकेशन एसोसिशन्स।

गार्डनर, एच. (1993), *फ्रेमस ऑफ माइंडः दी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटलीजेंस,* न्यूयॉर्कः बेसिक बुक्स

गौटफ्रीडसन, एल. (1998), दी जनरल इंटलीजेंस फैक्टर, *साइटिफिक अमेरिकन प्रेजेंटस,* 9(4): 24–29

हेमाचक, डी. (1990), *साइकोलॉजी इन टीचिंगः लर्निंग एंड ग्रोथ,* बोस्टनः एलन और बाकून।

हंमफ्रेरज्, एल.जी. (1979), दी कंस्ट्रीट ऑफ जनरल इंटलीजेंस, *इंटलीजेंस* 3(2): 105–120

इग्नू (2007), खंड 2: दी लर्नर, एम ई एस–013: लर्निंग, लर्नर एंड डेवलेपमेंट, नई दिल्लीः इग्नू

मंगल, एस.के. (2008), *एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी,* नई दिल्लीः पी.एच.आई.।

फिलिप्स, डी. ए. एवं ज़िम्मरमेन, एम. (1990), दी डेवलेपमेंट कोर्स ऑफ परसीवड कम्पीटेनेंस एंड इनकम्पीटेनेंस एमंग कम्पीटनेंट चिल्ड्रन, इन आर. स्ट्रेनबर्ग एवं जे. स्ट्रेनबर्ग, आर. जे. एवं विलियमस, डब्ल्यू. एम. (2002), *एजुकेशनल साइकोलॉजी,* बोस्टनः एलन और बाकून।

पिल्लै, एन. पी., पिल्लै, के.एस. एवं नायर, के.एस. (1972) *साइकोलॉजिकल फाउडेंशन्स इन एजुकेशन,* त्रिवेन्द्रम, कलानिकेतन।

सफाया, आर. एन. एवं शैदा, बी.डी. (2002), *मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी,* नई दिल्लीः धनपत राय पब्लिशिंग कंपनी

स्लेविन, आर. ई. (1996), *एजुकेशनल साइकोलॉजी,* न्यू जर्सीः प्रेन्टिस हॉल।

स्ट्रेनबर्ग, आर. जे. एवं साल्टर, डब्ल्यू (1982): *हैंडबुक ऑफ ह्यूमन इंटलीजेंस,* कैम्ब्रिज, यू.के. : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

वैश्लर, डी. (1944), *दी मेजरमेंट ऑफ एडल्ट इंटलीजेंस,* बाल्टीमोरः विलियम्स एवं विकिन्स।

वुलफ्लॉक, ए, (2001), *एजुकेशनल साइकोलॉजी,* बोस्टनः एलन और बाकून।

येलेन, आर. (1978), *ए टीचरर्स वर्ल्ड,* न्यूयॉर्क, मैकग्रा हिल।

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) भाग 3.3 देखें।

2) बुद्धि, अभिप्रेरणा, परिपक्वता अधिगम के लिए तैयारी, भावनाएँ आत्म–संप्रत्यय, अधिगम शैलियाँ तथा अभिवृत्तियाँ।

3) भाग 3.4.1 देखें।

4) (क) भाग 3.4.7 तथा विद्यालय अध्यापक के तौर पर अपनी समझ तथा अनुभव के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

   (ख) भाग 3.4.8 तथा विद्यालय अध्यापक के तौर पर अपनी समझ तथा अनुभव के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें।

5) एक समुदाय के सदस्य तथा एक विद्यार्थी के तौर पर अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर दें तथा भाग 3.5 को ध्यान से देखें।

6) इस प्रश्न का उत्तर एक अध्यापक के तौर पर अपने अनुभव के आधार पर दें।

7) विद्यालय वातावरण, दूसरी संबंधित क्रियाएँ, संरचनात्मक सुविधाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, अध्यापकगण या अध्यापकों की संख्या, पढ़ाने की विधियाँ, जो अध्यापकों द्वारा अपनाए जाते हैं, आदि। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न का उत्तर आपका उस विद्यालय के बारे में अवलोकन के आधार पर होना चाहिए, जिसमें आप अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

8) भाग 3.6 देखें।